संख्या–3179/60–1–12–1/13 (64)/12

प्रेषक,

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनु0–1 लखनऊः दिनांकः 21 सितम्बर, 2012

विषय– आई0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत् प्रदेश में संचालित समस्त राजकीय बाल गृहों में मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग संवासियों के लिये विशेषीकृत यूनिट में पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम–2000 के अन्तर्गत् महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय बाल गृहों में मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग संवासियों की विशेषीकृत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं उनकी विकलांगता के दृष्टिगत विशेष देखभाल की व्यवस्था की जानी है। समेकित बाल संरक्षण योजना(आई0सी0पी0एस0) की व्यवस्था अन्तर्गत् प्रत्येक राजकीय बाल गृहों में आवासित निराश्रित, अनाथ, परित्यक्त मानसिक एवं शारीरिक रूप से अक्षम अन्तःवासियों की विशेषीकृत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्था में ही पृथक से 10 बच्चों की यूनिट के लिये एक नर्स एवं देख–भाल कार्यकर्ता की व्यवस्था है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत् प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित 19 राजकीय बाल गृहों में 19 नर्स अनुमानित रू0–5500/– (रू0 पॉच हजार पॉच सौ मात्र) प्रति माह प्रति नर्स एवं 19 देखभाल कार्यकता रू0 3500/– (रू0 तीन हजार पॉच सौ मात्र) प्रति माह प्रति कार्यकर्ता की दर से सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्य किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित अर्हता के अनुसार श्री राजपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

.......2

3. उपरोक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय आयोजनागत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0110-विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये विशेषीकृत (के075/रा025-के0+रा0) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-3-1015/दस-12 ,दिनांक 20 सितम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3179(1)/60-1-12, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, भारत सरकार , महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
6. समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी।
7. संबंधित जिला प्रोबेशन अधिकारी।
8. संस्थाधीक्षक/संस्था प्रभारी राजकीय बाल गृह(बालक/बालिका/शिशु)।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

संख्या–3179/60–1–12–1/13 (64)/12 का संलग्नक

समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत् विभिन्न जनपदों में संचालित 19 राजकीय बाल गृहों में आवासित मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग संवासियों के लिये विशेषीकृत यूनिट हेतु सेवा प्रदाता **(Out Sourcing)** के माध्यम से नियत वेतन/मानदेय वाले पदों एवं उनकी अर्हता का विवरणः–

कम सं0	कर्मचारी/कार्मिक का पद नाम	पदों की संख्या	शैक्षिक योग्यता	आयु	वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये अनुमानित व्यय (6 माह के लिये)
1.	अर्ध चिकित्सा स्टॉफ (नर्स/कम्पाउण्डर)	19	इण्टर मीडिएट, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नर्सेज एण्ड मिडवायफरी अथवा फार्मेसी में डिप्लोमा तथा इस क्षेत्र में 02 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव।	25 वर्ष से 45 वर्ष तक।	6,27,,000/–
2.	देख–भाल कार्यकर्ता	19	मनोविज्ञान अथवा गृह विज्ञान के साथ इण्टर मीडिएट तथा मानसिक शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की देख–भाल का संस्थागत अनुभव।	25 वर्ष से 45 वर्ष तक।	3,99,,000/–
	योग	38			10,26,000/–

(रू0 दस लाख छब्बीस हजार मात्र

(राजेन्द्र कुमार)
उप सचिव।